(प्रति) 01

संख्या–2100/XVIII(II)/2011–3(47)/11

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 सितम्बर, 2011

विषयः–नागरिक सुरक्षा एवं होमगाड्‌र्स विभाग हेतु, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में ग्राम कोटड़ा सन्तौर, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में 1.00 है0 भूमि गृह विभाग, उत्तराखण्ड को निशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र संख्या–210/डी0एल0आर0सी0–2011, दिनांक–30.7.2011 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, श्री राज्यपाल, नागरिक सुरक्षा एवं होमगाड्‌र्स विभाग हेतु, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में, ग्राम कोटड़ा सन्तौर, तहसील विकास नगर, जिला देहरादून में 1.00 है0 भूमि गृह विभाग, उत्तराखण्ड को, वित्त अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–260/वित्त अनुभाग–3/2002 दिनांक–15.02.02 एवं गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति/अनापत्ति के दृष्टिगत, खसरा संख्या 308 के अधीन, निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार, निःशुल्क हस्तान्तरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी है।

3– हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

4– यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षो तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नही लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।

5– जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना हस्तान्तरित नही की जायेगी।

6– जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।

7– प्रश्नगत भूमि को, ग्राम समाज से पुनर्गृहित कर नियमानुसार, वांछित प्रयोजन हेतु आवंटित किया जायेगा।

8– प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु, तभी अनुमन्य होगा, जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को यथाशीध्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0संख्या–2180 /समदिनांकित/2011
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
4– प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।